न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 15/2022

प्रार्थी

लीलादेवी पुत्री भूबाजी रावल पत्नी भुराराम जी, जाति– रावल, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल– मगरीवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मंछाराम पुत्र भूबाजी रावल, जाति– रावल, निवासी–तंवरी, तह. व जिला– सिरोही

(2) शान्तादेवी पत्नी ओटारामजी रावल, जाति–रावल, निवासी–तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल निवासी–मालगांव, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही

(3) देविकाकुमारी पुत्री ओटाराम जी रावल, जाति– रावल, निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल निवासी– मालगांव, तहसील–रेवदरा, जिला– सिरोही

(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या– 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का, जेला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त कराने हेतु अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त कराने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपीलार्थी उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में पक्षकार नही थी, जिससे प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही हो सकी। यह कि गांव फलवदी, पटवार क्षेत्र जेला, तहसील सिरोही में वर्तमान भू प्रबन्ध अनुसार कृषि भूमि खाता संख्या नया 14 खसरा संख्या 599 रकबा 0.0100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 600 रकबा 0.9100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.9200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 13 खसरा संख्या 572 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 598 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व खसरा संख्या 601 रकबा 1.6600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.2800 हेक्टेयर आई [illegible] उक्त कृषि भूमि के गत भू प्रबन्ध के खाता संख्या 125 खसरा [illegible] बिस्वा एवं खाता संख्या 127 खसरा संख्या 433 रकबा 1 बीघा [illegible] खसरा संख्या 457 रकबा 12

.....पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या 949 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा है। उक्त कृषि भूमि भुबाजी रावल के खातेदारी की कृषि भूमि रही है। भुबाजी की मृत्यु के समय भुबाजी के वारिसान मंछाराम (पुत्र), ओटाराम (पुत्र) व लीला (पुत्री) है। यह कि प्रार्थी के भाई उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी अपीलार्थी को नियमित रुप से हासल अदा करते थे, लेकिन अपील प्रस्तुत करने के दो माह पहले अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की हासल की मांग की, तो प्रार्थी के भाई मंछाराम ने बताया कि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि के हिस्से में नाम नही होने से हासल नही देगा। जिस पर प्रार्थी को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि प्रार्थी अपीलार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि में बतोर वारिस अंकित नही है, तब प्रार्थी अपीलार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करवाई व अधिवक्ता से सम्पर्क करने के बाद तैयार करने हेतु रुपयो की व्यवस्था करने में सद्भाविक रुप से समय लगा है, जिसमें प्रार्थी की कोई बदनियति नही रही है व विलम्ब सद्भाविक है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसे कानून की जानकारी नही है। प्रार्थी सामान्य रुप से अपने ससुराल मगरीवाडा में ही निवास करती है, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। यदि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन नही किया गया तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा और उसे अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी लीलादेवी भूबाजी रावल की पुत्री ही नही है, भूबाजी रावल के वैवाहिक जीवन के केवल मात्र दो पुत्र प्रत्यर्थी संख्या–1 (मंछाराम) व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता ओटाराम जी ही हुये थे, जिससे प्रार्थी भूबाजी रावल की सम्पति में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नही होता है। भूबाजी ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व अप्रार्थी 2 के पति ओटाराम जी के मध्य पारिवारिक समझौते के तहत बंटवाड कर दिया था, तब से अप्रार्थी संख्या–1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व कार्मिकों व राजस्व अधिकारियों ने जांच पडताल करके ही अप्रार्थी संख्या–1 मंछाराम व अप्रार्थी संख्या 2 के पति ओटाराम जी के नाम से नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया था। इस प्रकार, भूबाजी के जीवनकाल एवं भूबाजी की मृत्यु के बाद भूबाजी की सम्पति में अप्रार्थी मंछाराम व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता ओटाराम जी के मलिकाना हक, कब्जा काश्त व स्वामित्व लगातार चला आ रहा है तथा ओटाराम जी की मृत्यु के बाद ओटाराम जी के हक हिस्से की सम्पति में बाद जांच अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। मौके पर प्रार्थी का न तो कभी भी कब्जा–काश्त रहा है एवं न ही कब्जा–काश्त है। प्रार्थी ने उक्त नामान्तरकरण को इतने वर्षो तक किसी राजस्व या सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है। प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी थी, लेकिन प्रार्थी ने मनगंढत तथ्यों के आधार पर जानबूझकर 30 वर्षो के विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की है एवं विलम्ब के संबंध में प्रार्थना पत्र में मनगंढत तथ्य अंकित किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम फलवदी, पटवार हल्का जेला के खाता संख्या नया 14 वर्तमान [illegible] 0.0100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 600 रकबा 0.9100 हेक्टेयर कुल कि[illegible] 0.9200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या नया 13 वर्तमान खसरा [illegible] हेक्टेयर, खसरा संख्या 598 रकबा 0.3500 हेक्टेयर व खसरा [illegible]600 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रकबा 2.2800 हेक्टेयर कृषि भूमि के खातेदार/संयुक्त खातेदार श्री भूबा पुत्र धुडा रावल, निवासी– फलवदी की मृत्यु होने के बाद मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा रावल, निवासी– फलवदी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में अप्रार्थी मंछाराम व अप्रार्थी संख्या–2 के पति श्री ओटाराम पुत्र भूबाजी रावल, निवासी– फलवदी के पक्ष में नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा उत्तराधिकार के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी लीलादेवी ने स्वयं को मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडाजी रावल, निवासी– फलवदी की पुत्री होना जाहिर किया है और यह भी जाहिर किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्री का भी समान रुप से हक हिस्सा होता है और यदि प्रार्थी का उसके पिता भूबा पुत्र धुडाजी रावल के हक हिस्से की कृषि भूमि में नाम दर्ज नही हुआ तो प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे और प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीया लीलादेवी, मृतक खातेदार भूबा पुत्र धुडा जी रावल, निवासी– फलवदी की पुत्री नही हो। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। चूंकि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है। जहां किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हो, ऐसे आरम्भतः शून्य आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपील पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना ही हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम फलवदी, पटवार हल्का जैला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 05.1.1983 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested